अमरसिंह वगैरा बनाम राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार ओसियां

किस्म मुकदमा **राजस्व विविध प्रार्थना पत्र** नम्बर 50/2020 सन् **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
6/3/21	प्रार्थीगण की ओर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया गया कि– प्रार्थीगण की कब्जा सुदा, पुश्तैनी खेती की कृषि भूमि मौजा ग्राम धुनाड़िया तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में खसरा नम्बर 156 में से रकबा 5 बीघा कृषि भूमि आई हुई है, उक्त सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थीगण का पुश्तैनी कब्जा काश्त चला आ रहा है, पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वज नारायणसिंह का वक्त सेटलमेन्ट से कब्जा चला आ रहा था तथा उनके देहान्त के बाद प्रार्थीगण का निर्बाद्ध रूप से भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा नम्बर 156 में से 5 बीघा भूमि के संबंध में खसरा परिवर्तन दस्तावेजात संवत् 2037 से आज दिन तक चला आ रहा है जिसमें लगातार काश्त चली आ रही है। पूर्व में नियमन हेतु आवेदन करने पर तहसीलदार ओसियां द्वारा नियमन की सिफारिश की गई थी। साथ ही सलाहकार समिति के समक्ष ही प्रार्थी का प्रकरण रखा गया था। जिसके संबंध में कार्यवाही की गई थी जिसमें भी प्रार्थीगण की भूमि व नियमन की सिफारिश का अंकन है। इस प्रकार कृषि भूमि पर भी प्रार्थीण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है, परन्तु इस भूमि को प्रार्थीगण के नाम नियमन नहीं किया जा सका। वक्त सेटलमेन्ट से उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण के पूर्वज नारायणसिंह तथा उनके देहान्त के पश्चात् प्रार्थीगण का भौतिक व वास्तविक रूप से कब्जा चला आ रहा है जो राजस्व रेकर्ड खसरा परिवर्तन निर्धारण व नियमन की सिफारिश से स्पष्ट है इस प्रकार प्रार्थीगण का लगातार आज दिन विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण द्वारासमय समय पर राज्य सरकार को बिगौड़ी भी अदा की गई है। प्रार्थीगण का अपने हिस्से की काबिज कृषि भूमि रकबा 5 बीघा पर वक्त सेटलमेन्ट से लगातार आज दिन तक कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिसमें प्रार्थीगण की रहवासीय कच्ची ढाणी बनी हुई है तथा पानी का टांका खुदा हुआ है जिसमें प्रार्थीगण शांतिपूर्वक रहवास करते आ रहे है यही भूमि प्रार्थीगण व उसके परिवार के रहवास व खेती का एकमात्र आसरा है। हाल ही में अप्रार्थी कार्यालय तहसीलदार ओसियां जिला जोधपुर द्वारा इसी खसरा नम्बर 156 रकबा 05 बीघा कृषि भूमि पर काबिज प्रार्थीगण को हटाने की धमकियां दी जा रही है तथा नोटिस जारी किये जा रहे है। जबकि	

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

उक्त नोटिस जारी करने से पूर्व अप्रार्थी द्वारा कोई विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। पूर्व में नियमन की सिफारिश किये जाने के कारण तहसीलदार महोदय को नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद के लम्बित रहने तक प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 156 के रकबा 5 बीघा के मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नाटिस जारी किया गया अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता व सरकारी की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ कोई उचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया न ही अप्रार्थी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का उचित कारण बताया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned with CamScanner